1/4

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04 / 1–46 / 2010 3594 / यो0वि0, पटना, दिनांक 11 नवम्बर,10

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

विषयः **वार्षिक योजना 2011–12 के तहत जिला योजना तैयार करने हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 3588 दिनांक 09.11.10 के संबंध में कहना है कि वर्ष 2011–12 के जिला योजना तैयार करने हेतु एक व्यापक मार्गदर्शिका, प्रपत्र एवं जिला योजना आलेख का स्वरूप विभाग द्वारा तैयार कर आपको उपलब्ध कराया गया है। जिला योजना तैयार करने के संबंध में कतिपय निर्देश पूर्व वर्षों में भी दिये जा चुके हैं पर अभी तक जिला योजना पूर्णरूपेण जिलों के द्वारा तैयार नहीं किया जा सका हैं ।

आप अवगत होंगें कि जिला योजना एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत तैयार की जानी है। इस हेतु मार्गदर्शिका में मुख्य गतिविधियों की समय सीमा भी निर्धारित की गयी है । इन गतिविधियों में से जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 19.11.10 से 03.12.10 तक आयोजित की जानी है, जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा शिक्षण एवं शोध संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है। इस कार्यशाला में विभाग द्वारा तैयार किये गये मार्गदर्शिका एवं प्रपत्रों के अतिरिक्त विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों / संस्थाओं से विभिन्न आँकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण के संबंध में भी चर्चा किया जाना है ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर जिला योजना आलेख को मूर्त रूप दिया जा सके ।

राज्य के 21 जिले राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं शेष 17 जिले मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत चयनित हैं। इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न जिलों को समय–समय पर आकस्मिकता मद में राशि प्रावधानित हैं।

आपको उक्त जिला स्तरीय कार्यशाला हेतु आपके जिले में चल रही उक्त कार्यक्रम से जिला स्तरीय कार्यशाला हेतु तत्काल 20,000 रूपये तक व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है । सुविधा हेतु यह ध्यान रखा जाय कि ऐसे जिले जो सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चयनित है या ऐसे जिले जो भारत सरकार– संयुक्त राष्ट्र साझा कन्वरजेंस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित हैं, कार्यशाला आयोजित करने हेतु राशि का व्यय प्रावधानित राशि से सर्वप्रथम करेंगे। शेष जिले राष्ट्रीय सम विकास योजना एवं मुख्यमंत्री जिला विकास योजना के अंतर्गत प्रावधानित आकस्मिकता मद / सूद की राशि से कार्यशाला का आयोजन करेगें।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में जिला कार्यशाला की तिथि निर्धारित कर विभाग को एक सप्ताह के अंदर सूचित की जाए ताकि विभागीय पदाधिकारियों को भी उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सके।

कृपया इसे विशेष प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन
11.11.10
(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक: यो04/1-46/2010 3594 /यो0वि0, पटना, दिनांक 11 नवम्बर,10

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सभी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. जिला योजना पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. जिला सहजकर्ता/जिला सहयोग पदाधिकारी, भागलपुर, गया, नालंदा, पूर्णियां एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/11/10

(डा0 हरेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त निदेशक।